न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।
पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, सिवान।

विवाह पुनर्स्थापन वाद सं0– 126/2020
अली इमाम हुसैन बनाम अफसाना खातून

आदेश की तिथि 07.08.2026

1. आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं है। विपक्षी की हाजिरी एवं सूची के साथ भरण पोषण वाद सं0 **75/2020** में पारित अंतिम आदेश दिनांकित **09.07.2026** के आदेश के सच्चीप्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल किया गया है।
2. वाद पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।
3. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि आवेदक केवल विपक्षी को तंग व परेशान करने के नियत से यह केस किया है और आवेदिका द्वारा किये गए भरण पोषण सं0 **75/2020** में अंतिम आदेश पारित होने के बाद से ही आवेदक लगातार अनुपस्थित हैं। विपक्षी लगातार उपस्थित हो रही है। आवेदक को लगातार आदेशित किया जा रहा है कि वह सदेह उपस्थित रहे एवं अपनी ओर से बहस पूर्ण करावे लेकिन आवेदिक लगातार अनुपस्थित रह रहा है। आवेदक का वाद खारिज करने की कृपा की जाय।
4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रस्तुत वाद में आवेदक को यह निर्देश दिया गया था कि सदेह उपस्थित रहे अन्यथा उचित आदेश पारित किया जाएगा परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ और न ही आज उपस्थित है। आवेदक लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है तथा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक को अब इस वाद में कोई रूची नहीं रह गई है।
5. उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक के लगातार अनुपस्थिति के कारण, आवेदक का यह वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक औपचारिताएं पत्रावली को अभिलेखागार सिवान में संचित करे।

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश, सिवान।